

बिहार सरकार

कृषि विभाग

Mail/Fax

पत्र संख्या-3/कृ० बजट आवंटन-22/2014 260(आवंटन) /कृ०, पटना, दिनांक 12-03-2015
प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक, उद्यान,
बिहार, पटना।

विषय :

बिहार हार्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में 178.948 करोड़ रुपये (केन्द्रांश 53.225 करोड़ रुपये एवं राज्यांश 125.693 करोड़ रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं इसके तहत एम.आई.डी.एच. अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा राष्ट्रीय बाँस मिशन, राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन, राष्ट्रीय सब्जी इनिसियेटिव योजना, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन एवं शुष्क बागवानी के भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹9,90,00,000 (नौ करोड़ नब्बे लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1585 दिनांक-16.09.2014 द्वारा बिहार हार्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में 178.948 करोड़ रुपये (केन्द्रांश 53.225 करोड़ रुपये एवं राज्यांश 125.693 करोड़ रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं इसके तहत एम.आई.डी.एच. अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा राष्ट्रीय बाँस मिशन, राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन, राष्ट्रीय सब्जी इनिसियेटिव योजना, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन एवं शुष्क बागवानी के भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति हुई है। पूर्व में विभागीय पत्रांक 121(आवंटन) दि० 14.10.2014 द्वारा 70000000 रु० तथा पत्रांक 225(आवंटन) दि० 27.1.2015 द्वारा 30000000 रु० अर्थात् कुल 10,00,00,000 रु० (दस करोड़ रुपये मात्र) आवंटित की जा चुकी है। पुनः व्यय हेतु कुल ₹9,90,00,000 (नौ करोड़ नब्बे लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त कुल ₹9,90,00,000 (नौ करोड़ नब्बे लाख रुपये) मात्र का व्यय बजट-शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-119-बागवानी तथा वनस्पति फसले-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0224-राष्ट्रीय बागवानी मिशन-विपत्र कोड-P2401001190224- विषयशीर्ष- 31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे में वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-6720 वि० (2) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजक

(15/3/15)

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

260(आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 12-03-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुभा)

(15/3/15)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 260(भावंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 12-03-2015

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, (पी०पी०एम०), बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना), कृषि विभाग, बिहार पटना/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/सभी संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/ निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक

260(भावंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 12-03-2015

: उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई०-मेल करने हेतु प्रेषित।

सुतग

सरकार के संयुक्त सचिव।

सरकार के संयुक्त सचिव।